न्याय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

वाद सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
111/17	19.9.17	11-1-21

:–उनवान:–

वलीमोहम्मद पुत्र हाण्डा जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:–वादी:–

बनाम

जटटोबांई बेवा सूवाराम उर्फ शोभाराम

शीतलदास

प्रेमदास

मदनलाल पुत्रान सूवाराम उर्फ शोभाराम

कल्ली बांई

कौशल्या बांई

लक्ष्मीबांई

प्रेमबाई पुत्रीयान सूवाराम उर्फ शोभाराम जातियान राजपूत निवासीयान खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

राज0 सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार पैरोकार सरकार तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:– असल प्रतिवादीगण:–

सम्पत पुत्र मुनीरा जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

रहीसन पुत्री हाण्डा पत्नि हारून जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तह0 किशनगढबास जिला हाल निवासी मूलफान तहसील फिरोजपुर झिरका जिला मेवात हरि0 ।

:–तरप्रतिवादीगण :–

दावा इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
व हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत दफा
88,89,188 राज.टी.एक्ट 1955

उपस्थिति:– 1. राजेश शर्मा वकील वादी की ओर से
2.प्रतिवादीगण की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही

:– निर्णय :–

दावे के सूक्ष्म वृत्तांत निम्न प्रकार है:–

राजस्व ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास में स्थित हाल आराजी नंबर 2123 रकबा 1–00 बीघा(0.25 हे0) जिसका कि साबिक नंबर 1668/1–00 से कायम किया गया है। साबिक ख0न0– 1668 रकबा एक बीघा मिन वादी व बी प्रतिवादी सं0 11 तथा तरतीबी प्रतिवादी सं0 10 के पिताओं मृतक हाण्डा व

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

ीरा पुत्रान भुल्लू जाति मेवान निवासीयान खानपुर मेवान ने रामगाग में जयें बयनामा क्रमांक 1366 दिनांक 17.09.79 को विधिवत प्रतिफल राशि अदा कर पुत्र खिलन्दाराम राजपूत निवासी खानपुर मेवान से खरीद की थी। बयनामा क्रमांक ते मुलाहिजा पेश है। जो आराजी वाद वादी मे विवादित भूमि कहलायेगी। नकल दिनांक 17.09.79 संलग्न वाद पत्र है।यह है कि उपरोक्त विवादित आराजी पर द मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता मृतक मुनीरा बरोज खरीद से में काबिज होकर काश्त करते थे। उक्त विवादित आराजी विक्रेता शोभाराम राजपूत सनद पटटा नंबर 2035 दिनांक 16.05.77 से प्राप्त अलौटशुदा खातेदारी की आराजी ने अपने समस्त हक हकूक वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिताओं से प्रतिफल 00/—रूपये प्राप्त करते हुए कब्जा सौंप दिया था। केतागन हाण्डा व मुनीरा दोनों हो चुके है। जिनके कि वादी वो तरतीबी प्रतिवादीगण ही कानूनी व विधिक है। जिनका शजरा दावे में अंकित किया जा रहा है। वाद वेचान विक्रेता शोभाराम नके वारिसान का किसी प्रकार का कब्जा काश्त विवादित आराजी पर नहीं रहा, ना ज है। केतागन के फौत हो जाने के पश्चात मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादीगन 2 भाग को पिछले 37—38 सालों से काश्त करते चले आ रहे है।

यह है कि विक्रेता शोभाराम के नाम का अंकन साबिक जमावंदी संवत् 2017 से अलौटी दर्ज हो रहा है तथा मिसल हकीयत संवत् 2029 में शोभाराम अलौटी के दित आरजीयात सहित दीगर कृषि भूमि किता 16 रकबा 13—12 बीघा गैरखातेदारी ॉर्ड है। सनद पट्टा संखया 2035 दिनांक 16.05.1977 कुल कीमत भूमि व सूद कराकर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर द्वारा जारी की हुई है। वास्तें मुलाहिजा मांबन्दी 2017,2029 व सनद पट्टा संलग्न वादपत्र है।

वादी वो तर०प्रतिवादीगन के पिता काश्त करते रहे, जो दोना ही अनपढ व पेशा होने के कारण नामांतकरण खातेदारी दर्ज कराने से अज्ञान थे। विक्रयपत्र पश्चात मूल बयनामा को हल्का पटवारी को इंतकाल दर्ज कराने हेतु अज्ञानता वश ा तथा राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेता शोभाराम के नाम का ही अंकन दर्ज होता रहा, कारण शोभाराम के फौत होने पर विरासत इंतकाल संख्या 2510 दिनांक 20.10.2016 ा पटवारी द्वारा असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व स्वीकार कर दिया तथा विवादित मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदारी अंकित है। जबकि असल प्रतिवादीगण ज गैरवास्ता आराजी है। जिनका कि किसी प्रकार का सम्बन्ध सरोकार विवादित से नहीं रहा, नाही कब्जा रहा और ना आज ही है, बल्कि आराजी पर वादी वो प्रविवादीण केतागन के वारिसान ही काबिज है व काश्त करते आ रहे है। ऐसी सूरत वो तरतीबी प्रतिवादीगण मुतबिक बयनामा क्रमांक 1366 दिनांक 17.09.79 के आधार दित आराजी पर अपने नाम का अंकन बहैसियत खरीददार खातेदार कराने के है तथा इंतकाल विरासत संखया 2510 व मौजूदा अंकन गैरखातेदारी को नल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

; दिलाकर हजफ कराने के अधिकारी है। अतः दावा इश्तकारारहक मय दुरूस्ती
यर करना लाजिम आयां है।
डिकी इश्तकारारहक दुरूस्ती इंद्राज पारित की जाकर करार दिया जावें कि वादी
प्रतिवादीगन आराजी मुतनाजा ख.न. हाल 2123 रकबा 1–00 बीघा सालिम वाके
वान के खरीदार खातेदार बरोज खरीद दिनांक 17.09.79 काबिज वो दखील है।
क0 1366 दिनांक 17.09.79 विधिवत वादी व तरतीबी प्रतिवादगण के पिताओं
डा व मृतक मुनीरा पिता भुंल्लू मेव, खानपुर मेवान के हक में समभाग में पंजीबद्ध
जिसके आधार पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण व उनके पिता विधिक रूप से
ाश्त करते चले आ रहे है। ऐसी सूरत में बयनामा के आधार पर वादी व तरतीबी
ण के नाम का अंकन समभाग खातेदार खरीदार दर्ज कराया जावें तथा इस प्रकार
ा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण कराने के अधिकारी है।
दत आराजी की बावत् विरासत इंतकाल संख्या 2510 दिनांक 20.10.16 जो असल
न के नाम दर्ज वो स्वीकार फरमाया गया है तथा जमाबंदीयात में विवादित आराजी
री दर्ज की हुई है। उक्त इन्द्राज हकूक वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के विरूद्ध
वोईड करार दिया जाकर कलमजन किया जावे तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण
का अंकन बयनामा क्रमांक 1366 दिनांक 17.09.79 के खातेदार करार दिया जावें।
वादीगण असल को जर्ये स्थाई निषेध आज्ञा पाबंद किया जावें कि वो मुतनाज़ा
ख0न0 हाल 2123 रकबा 1–00 बीघा स्थित ग्राम खानपुर मेवान से गलत अंकन की
ना तो वादी व तरतीबी प्रतिवादीगन को बेदखल करें, ना कब्जा काश्त में मजामहत
, ना गलत अंकन की आड में दीगर जगह रहन, बैय, मुन्तकिल करें। दौराने वाद
रिकॉर्ड की यथावत स्थिति कायम रखें।
ं मुकदमा का वादी को प्रतिवादीगण असल से दिलवाया जावे। दीगर न्यायोचित
जो अदालत मुनासिब समझें, अता फरमायी जावे।
ा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये अखबार तामिल करवाई गई
कोई प्रतिवादीगण उपस्थित नही उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई
हसीलदार किशनगढबास से मौके पर कब्जां काश्त की रिपोर्ट मंगवाई गई। वादी ने
के तौर पीडब्लू–1 स्वंय का शपथ पत्र, पीडब्लू–2 जुम्माखां, पीडब्लू–3
वानं के पेश किये तथा दस्तावेजात प्रदर्श करायें प्रदर्श–1 असलबयनाम दिनांक 17.
दर्श–2 जमावंदी हाल सं0 2069–72, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2017 से 2020,
जमावंदी खतौनी बंदोबस्त संवत 2029, प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी सं0 2020तक,
नकल मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, प्रदर्श–7 हाण्डा पुत्र मूलू मेव, प्रदर्श–1
ए जिसकी छाया प्रति दावे में संलग्न है, प्रदर्श–8 मृत्यु प्रमाण पत्र महकी पत्नि
प्रदर्श–8ए मृत्यु प्रमाण पत्र महकी पत्नि मुनीराकी छाया प्रति, प्रदर्श–9 मृत्यु प्रमाण
नम पत्नि हाण्डा, प्रदर्श–9ए मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति जैनम पत्नि हाण्डा,
10 मुनीरा पुत्र मूलू का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श–10ए मुनीरा पुत्र मूलू के मृत्यु प्रमाण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

—2—

या प्रति, प्रदर्श–11अलोटमेन्ट पत्र संनद सं0 2035(77) दिनांक 16.5.77, प्रदर्श–12
वत 2032 पेश किये है।

वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यों
हुए बताया कि राजस्व ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास में स्थित हाल
सरा नंबर 2123 रकबा 1–00 बीघा (0.25 है0) जिसका कि साबिक नंबर
00 बीघा से कायम किया गया है। साबिक ख0न0– 1668 रकबा एक बीघा मिन
रतीबी प्रतिवादी सं0 11 तथा तरतीबी प्रतिवादी सं0 10 के पिताओं मृतक हाण्डा व
रा पुत्रान भुल्लू जाति मेवान निवासीयान खानपुर मेवान ने सम्भाग में जर्ये
बयनामा क्रमांक 1366 दिनांक 17.09.79 को विधिवत प्रतिफल राशि अदा कर
पुत्र खिलन्दाराम राजपूत निवासी खानपुर मेवान से खरीद की थी। विक्रय पत्र में
से साबिक व हाल खसरा न0 अंकित करते हुए सनद पटटा सं0 2035 के द्वारा
बताकर विक्रयपत्र विधिक रूप से पंजीकृत कराया हुआ है। ऐसी सुरत में मिन वादी
प्रतिवादीगन आराजी के खरीदार खातेदारान है तथा अपने नाम का अंकन
में बहैसियत खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। आराजी पर बरोज खरीद से
तर0प्रति0 व उनके पिता निरन्तर काबिज वो काश्त चले आ रहे है। और आज भी
है। अतः वादी व तर0प्रति0 को खातेदार अंकित कराया जाना न्यायोचित है। एवं
ण असल को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वो मुतनाजा आराजी
हाल 2123 रकबा 1–00 बीघा स्थित ग्राम खानपुर, मेवान से गलत अंकन की आड
वादी व तर0 प्रति0 को बेदखल करें, ना कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करे, ना
कुन की आड में दीगर रहन बैय मुन्तकिल करें।

वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया वकील
प्रस्तुत दस्तावेजात असल बयनामा, जमाबंदी संवत 2019 से 2020 में शोभा राम
न्दाराम सा0देह आलोटी है, जमाबंदी सवत 2029 में भी आलोटी शोभाराम विक्रेता
र्ड है, तहसीलदार किशनगढबास द्वारा जारी सनद नं0 2035(77)दिनांक 16.5.77 में
खूबाराम को खातेदारी प्राप्त हुई है,सवंत 2034 में भी विक्रेता खूबाराम सा0 देह
दर्ज है। खसरा गिरदावरी सवंत 2020 में खूबराम की कब्जा काश्त है। पत्रावली में
मृत्यु प्रमाण पत्रो से साबित है कि क्रेतागणो की मृत्यु हो चुकी है एंव वादी एव
दीगण विवादित आराजी के खरीददार खातेदार कब्जा काश्त है विवादित आराजी
विरासत इंतकाल स0 2510 दिनांक 20.10.16 जो असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज
कार किया गया उसको कलमजन किया जाना चाहिए एवं जमाबंदी में विवादित
गैरखातेदारी दर्ज की हुई है को खातेदारी करार दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ-बास (अलवर)

111/17 पत्री मि. ४/3 नहीं ...

...ालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अलवर)

देश कि:–

वाद वादी एवं तरप्रति0 एकपक्षीय डिकी किया जाकर वादी एवं को आराजी ख0न0 2123 रकबा 1–00 वाके ग्राम खानपुर मेवान का खरीदरार, ...ाश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण असल को स्थाई निषेधाज्ञा से ...या जाता है कि गलत अंकन की आड में ना तो वादी व तर0प्रति0 को बेदखल ...दीगर जगह रहन, बैय मुन्तकिल करें। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगें। पर्चा डिकी पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय टंकित करया जाकर ...ालय में सुनाय गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

111/17 फाइल मा. पी. जे. न्यायालय

...ालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अलवर)

...य उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

...ावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
...1/17	19.9.17	11.11.21

:–उनवान:–

...ीमोहम्मद पुत्र हाण्डा जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास ...ला अलवर। :–वादी:–

बनाम

...टटोबांई बैवा सूवाराम उर्फ शोभाराम
...ीतलदास
...मदास
...दनलाल पुत्रान सूवाराम उर्फ शोभाराम
...ल्ली बांई
...ौशल्या बांई
...क्ष्मीबांई
...ामबाई पुत्रीयान सूवाराम उर्फ शोभाराम जातियान राजपूत निवासीयान खानपुर मेवान ...हसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
...ाज0 सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार पैरोकार सरकार तहसील किशनगढबास ...जेला अलवर। :– असल प्रतिवादीगण:–
...सम्पत पुत्र मुनीरा जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला ...अलवर।
...रहीसन पुत्री हाण्डा पत्नि हारून जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तह0 ...किशनगढबास जिला हाल निवासी मूलफान तहसील फिरोजपुर झिरका जिला मेवात ...हरि0 ।

:–तरप्रतिवादीगण :–

दावा इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
व हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत दफा
88,89,188 राज.टी.एक्ट 1955

...स्थिति:– 1. राजेश शर्मा वकील वादी की ओर से
2.प्रतिवादीगण की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

111/17 वली मो. v/s ....

...यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अलवर)

:– पर्चा डिकी–

...वाद वादी एवं तरप्रति0 एकपक्षीय डिकी किया जाकर वादी एवं तर0प्रति0 को ... ख0न0 2123 रकबा 1–00 वाके ग्राम खानपुर मेवान का खरीदरार खातेदार ...र घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण असल को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द ...ता है कि गलत अंकन की आड में ना तो वादी व तर0प्रति0 को बेदखल करें, ना ...गह रहन, बैय मुन्तकिल करें। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगें। पत्रावली फैसल शुमार ...खिल रिकार्ड हो। निर्णय टंकित करया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)